

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदर्श ढूँढा

प्रार्थीगण
1. अशोक कुमार पुत्र शंकराराम 2.
नरेन्द्र कुमार पुत्र शंकराराम जाति
मेघवाल निवासी आदर्श ढूँढा
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.पदमाराम पुत्र भलाराम 2.मैराराम पुत्र भलाराम
3. जेताराम पुत्र भलाराम 4. केवलराम पुत्र
भलाराम 5. मैराराम पुत्र किस्तुराराम 6. रूपाराम
पुत्र किस्तुराराम 7. अमराराम पुत्र उम्मेदाराम 8.
कानाराम पुत्र उम्मेदाराम 9. सवाईराम पुत्र
उम्मेदाराम 10. रमेश कुमार पुत्र उम्मेदाराम
11.ईशाराम पुत्र उम्मेदाराम 12. चम्पादेवी पत्नि
उम्मेदाराम 13. बालाराम पुत्र ताराराम 14. प्रभूराम
पुत्र ताराराम 15. चन्दादेवी पत्नि ताराराम 16
जगू पुत्र मोडाराम 17. बाबू पुत्र मोडा 18. श्रवण
पुत्र मोडा 19. हीरो पत्नि मोडा 20. धन्वाराम पुत्र
चौखाराम 21. अनोपाराम पुत्र नेताराम 22
चैनाराम पुत्र नेताराम 23. गुमनाराम पुत्र नेताराम
24. देवाराम पुत्र नेताराम 25. धाईदेवी पत्नि
नेताराम 26. कबीरा पुत्र जुगता 27. मैरा पुत्र
जुगता 28. चैना पुत्र रासीगा 29. रूगा पुत्र
रासीगा 30. पुखराज पुत्र रासीगा 31. चुतरा पुत्र
रासीगा 32. भूरा पुत्र रासीगा 33. कमलादेवी
पत्नि जगदीश 34. तुलसाराम पुत्र अगाराराम
35. भंवराराम पुत्र अगाराराम 36. विखाराम पुत्र
जुगताराम 37. फगलूराम पुत्र जुगताराम 38.
भंवराराम पुत्र जुगताराम 39. समदादेवी पत्नि
जुगताराम 40. निम्बाराम पुत्र रणछा 41. जीवणा
उर्फ जवाता पुत्र दाना उर्फ पाता 42. गोवर्धनराम
पुत्र अणदाराम 43. शंकरलाल पुत्र अणदाराम
44. मोहनलाल पुत्र अणदाराम 45. दाऊलाल पुत्र
अणदाराम 46. महेन्द्रा पुत्र सालूराम 47.
छगनाराम पुत्र सालूराम 48. खाखण पुत्र कालू
49. मैरा पुत्र कालू जातियान मेघवाल 50.
मनछा पुत्र टीला जाति वादी निवासीयान आदर्श
ढूँढा तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-13/2020 दिनांक-15.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श ढूँढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील एवं जिला
बाड़मेर के खसरा नम्बर 215 रकबा 06 बीघा, के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र
सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक
07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 15/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6308-6311

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र शंकराराम वगैरह जाति मेघवाल निवासी आदर्श ढूँढा तहसील व जिला बाड़मेर
4. पदमाराम पुत्र भलाराम वगैरह जातियान मेघवाल/वादी निवासी आदर्श ढूँढा तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर